



जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा /प्रे. 1831 दि. 15.03.17

आदेश

विषय – अंकेक्षण दल द्वारा उपभोक्ता से वसूली हेतु निर्धारित राशि को उपभोक्ता के बिल में जोड़ने के संदर्भ में।

प्रायः यह देखा गया है कि अंकेक्षण दल तथा विभिन्न अन्य शाखाओं द्वारा किसी विद्युत कनेक्शन पर निर्धारित की गई राशि के संबंध में उपभोक्ता को सूचना दिये बिना ही यह राशि को उसके विद्युत बिल में जोड़कर भेज दिया जाता है।

विद्युत आपूर्ति की शर्तें एवं निबन्धन-2004 के क्लॉज संख्या-49 के प्रावधानों के अनुसार किसी उपभोक्ता से वसूल किये जाने वाली राशि के संबंध में निगम द्वारा उपभोक्ता को नोटिस देकर वसूली योग्य राशि का विस्तृत विवरण सूचित करना आवश्यक है एवं उपभोक्ता को सुनवाई का मौका दिया जावे। तत्पश्चात् ही अंकेक्षण दल या अन्य शाखाओं द्वारा निर्धारित राशि को बिल में जोड़कर भेजा जाना सुनिश्चित करें।

इस विषय में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपभोक्ता के विद्युत बिलों में बकाया राशि जोड़ने से पूर्व अंकेक्षण दल, परिचालन व संधारण शाखा, मीटर शाखा एवं सर्तकता शाखा इत्यादि द्वारा निर्धारित वसूली योग्य राशि का विस्तृत विवरण संबंधित उपभोक्ता को नियमानुसार 15 दिवस के नोटिस द्वारा सूचित करना सुनिश्चित करें एवं नोटिस अवधि में उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति की सुनवाई के बाद ही विद्युत बिलों में राशि को जोड़ा जावे।

आज्ञा से


(एस.के.चुग)

अधीक्षण अभियंता (टीए टू एमडी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

पेज 02 का 01

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निदेशक (वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता(जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर संभाग),जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, () जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/जयपुर।
- प्रावे. सहा. अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
- प्रावे. सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न-की/पीपीएम/एम.एण्डपी/बी.एफ.एल./एमएम एवं सी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/ चूरू/बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़/ जैसलमेर /सिरोही।
- अधीक्षण अभियन्ता (आईटी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman, विद्युत विनियामक भवन, सहकार मार्ग, स्टेट मोटर गैराज के पास, जयपुर, को Ombudsman के अवलोकनार्थ।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु)।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एवं रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/ चूरू/ बीकानेर/ श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़।
- प्रावेधिक मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता (), जोधपुर डिस्कॉम,.....(आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त सहायक अभियन्ताओं, कनिष्ठ अभियन्ताओं, लेखाकार को उपलब्ध कराने हेतु)।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।


अधीक्षण अभियन्ता (टीए टू एमडी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

पेज 02 का 02